संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 99.36 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 15 दृष्टांतदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 65,885.12 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 67,858.13 करोड़ थी। इसमें से, 74 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 42,824.95 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,399.74 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 26 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 7,111.53 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 10,521.91 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,973.01 करोड़ (2.99 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 163 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2019-20 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,805 मामलों में कुल ₹ 1,422.55 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 1,029 मामलों में ₹ 298.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं। विभागों ने वर्ष 2019-20 के दौरान 55 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ (0.39 प्रतिशत) वसूल किए। इनमें से, 24 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.78 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वित्त वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

कर-निर्धारण प्राधिकारी अंतर्राज्यीय खरीद, माल आयात करने और अपंजीकृत डीलरों से खरीद पर कर लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अंतर्राज्यीय खरीदों पर छिपाए गए टर्नओवर के मामलों के निर्धारण हेतु कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 27.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रास सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीत नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने समय पर मासिक किश्त जमा नहीं करने पर न तो ठेकों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.61 करोड़ का ब्याज उदग्रहित किया।

(अनुच्छेद 3.3)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

पांच करारों के मामले में बिक्री करार की बजाय कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के रूप में बिक्री विलेख के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के अंदर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 16 प्लॉटों के बिक्री विलेखो का निर्धारण आवासीय भूमि की बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)